

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
पत्रांक-वा0क0अधि0/स्वमूल्यांकन/सी0आर0/ /19 लखनऊ::दिनांक:: 29 नवम्बर-2019

-: परिपत्र :-

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

मैं अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.12.2019 को सेवानिवृत्त हो रही हूँ। वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश की विभिन्न पीठों में कार्यरत सदस्यगण, जिनकी दिनांक 01.04.19 से 31.12.19 तक वाणिज्य कर अधिकरण अधिष्ठान में कम से कम 90 दिन या उससे अधिक की कार्य अवधि पूर्ण हो रही हो, उनकी वार्षिक प्रविष्टियों मेरे स्तर से प्रदान की जानी हैं। अतः सम्बन्धित सदस्यगण दिनांक 01-04-19 से 30.11.19 तक अथवा सम्बन्धित पीठ कार्यालय में तैनाती की कार्य अवधि में किये गये न्यायिक कार्य का "स्वमूल्यांकन प्रपत्र" निर्धारित प्रारूप में समस्त संलग्नकों तथा न्यायिक कार्य स्तर के मूल्यांकन हेतु संगत वर्ष में दिये गये निर्णयों, जो अधिकारी द्वारा स्वयं लिखाये गये हो, में से किन्हीं तीन निर्णयादेशों की प्रतियों सहित विलम्बतम दिनांक 09.12.19 तक मुख्यालय उपलब्ध कराना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें।

वांछित स्वमूल्यांकन प्रपत्र उपरोक्तानुसार उल्लिखित समस्त संलग्नकों सहित न्यायिक सदस्यगण द्वारा तीन सेट में तथा प्रोन्नति के फलस्वरूप नियुक्त विभागीय सदस्यगण द्वारा दो सेट में उपलब्ध कराया जाये।

समस्त सदस्यगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि संगत वित्तीय वर्ष की सम्बन्धित कार्य अवधि में यथा स्थिति एकल पीठ, युगल पीठ अथवा पूर्ण पीठ में निस्तारित वादों के सम्बन्ध में पृथक-पृथक रूप से निस्तारण मानक की गणना करते हुए गणना-शीट, स्वमूल्यांकन प्रपत्र के प्रत्येक सेट के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाये।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

ह0-29.11.19

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::संख्या-वा0क0अधि0/स्वमूल्यांकन/सी0आर0/ 4611 /19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वार्षिक प्रविष्टि हेतु अपना स्व-मूल्यांकन प्रपत्र दिनांक 09.12.19 तक प्रस्तुत करें।
- 2-प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक (मुन्सरिम)/वरिष्ठ सहायक(विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-वरिष्ठ सहायक (विवरण), मुख्यालय, लखनऊ को गार्ड फाइल हेतु।

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्वमूल्यांकन प्रपत्र
(वित्तीय वर्ष 2019-20)

- 1-अधिकारी का नाम ::
- 2-पदनाम तथा तैनाती का स्थान ::
- 3-कार्य अवधि(तिथियों सहित) ::
- ::
- 4-न्यायिक कार्य का संक्षिप्त विवरण-
- (क) कार्य दिवसों की संख्या - ::
- (ख) अपीलों के निस्तारण का प्रतिशत ::
- (ग) अपीलों के वर्षवार निस्तारण का विवरण संलग्नक 'क' में दिये गये प्रारूप के अनुसार - ::
- (घ) मा0 उच्च न्यायालय के धारा 11(8) के अन्तर्गत प्राप्त अपीलों के निस्तारण का विवरण संलग्नक- "ख" के अनुसार - ::
- (ङ.) दूषित अपीलों का वर्षवार विवरण संलग्नक-'ग' के अनुसार- ::
- (च) विविध प्रार्थना-पत्रों के वर्षवार निस्तारण का विवरण संलग्नक 'घ' के अनुसार- ::
- (छ) द्वितीय अपीलों के सम्बन्ध में प्राप्त वेवर तथा स्थगन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का विवरण संलग्नक 'ड'. के अनुसार- ::
- (ज) पुरानी अपीलों के निस्तारण के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान का अनुपालन- ::
- (झ) रिमाण्ड की गयी वर्षवार अपीलों की संख्या एवं प्रतिशत। क्या रिमांड आवश्यक था अथवा विचारणीय बिन्दु बनाकर अपीलीय अधिकारी का निष्कर्ष मंगाया जा सकता था ::
- (ट) वर्ष में कुल कितनी खण्ड-पीठ अपीलों ::

निर्णीत की गयी तथा उनमें से कितने ::
निर्णय स्वयं सदस्य द्वारा लिखाये गये -

5-(क) निर्धारित अवधि के बाद घोषित ::
किये गये निर्णयों की संख्या-
तथा विलम्ब का कारण-

(ख) क्या विलम्ब से निर्णय घोषित ::
किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष
महोदय की अनुमति प्राप्त की
गयी -

(ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 में एकल ::
पीठ तथा खण्ड पीठ में एक
बार अंतिम सुनवाई के पश्चात पुनः
सुनवाई हेतु नियत किये गये
वादों की संख्या-

प्रशासनिक कार्य का संक्षिप्त विवरण

1- अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण ::
द्वारा कब-कब निरीक्षण हुआ -

2- अध्यक्ष के निरीक्षण की अनुपालन ::
रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी अथवा
नहीं ?

3- अध्यक्ष के निरीक्षण के समय पायी ::
गयी कमियों का निवारण हो गया
अथवा नहीं ? यदि निवारण नहीं हुआ तो
उसके क्या कारण थे ?

4- अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी किये ::
गये प्रशासनिक परिपत्रों/निर्देशों का अनुपालन
किया गया अथवा नहीं, यदि नहीं तो उसके
क्या कारण थे ?

5-सदस्य द्वारा अपने कार्यालय का ::
कब-कब निरीक्षण किया गया ?

6-सदस्य के निरीक्षण में पायी गयी
त्रुटियों का निवारण हुआ अथवा
नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

7-सदस्य की निरीक्षण टिप्पणी तथा अनुपालन ::

रिपोर्ट को मुख्यालय प्रेषित करने का पत्र
संख्या व दिनांक -

- 8- आय-व्ययक से आवंटित धनराशि ::
तथा व्यय की गयी धनराशि -
- 9- आवंटित धनराशि के उपयोग में कोई ::
वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई ?
यदि हुई हो तो उसका कारण-
- 10-आवंटित धनराशि में से अधिक ::
व्यय / बचत की धनराशि और
उसका विवरण -
- 11- क्या अध्यक्ष द्वारा पारित किये ::
गये स्थानान्तरण/प्रोन्नति तथा
अन्य प्रशासकीय आदेशों का
अनुपालन समय से सुनिश्चित
किया गया है ?
- 12- क्या कार्यालय के कर्मचारियों के ::
के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर
यथोचित कार्यवाही की गई और
अध्यक्ष को कृत कार्यवाही से
अवगत कराया गया?
- 13-क्या अध्यक्ष के आदेशानुसार भवन निर्माण ::
अग्रिम, वाहन अग्रिम, सामान्य निधि अग्रिम,
वेतन अग्रिम व यात्रा भत्ता अग्रिम की वसूली
सुनिश्चित की गई ?
- 14- क्या कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका ::
सामान्य भविष्य निधि पुस्तिका
एवं अवकाश खाता अद्यावधिक रखा गया ?

सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
पीठ-

